- 236

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनायें, जयपुर ।
[जयपुर विकास प्राधिकरण भवन, जयपुर]

...

क्रमांक :भूअ/नवि/91/ दिनांक: 12.6.91

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपनी कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम अतरपुरा में भूमि अवाप्ति बाबत [पृथ्वी राज नगर योजना]

...

मुकदमा नम्बर :

| | |
|---|---|
| 1. | 258/88 |
| 2. | 259/88 |
| 3. | 262/88 |
| 4. | 263/88 |
| 5. | 265/88 |
| 6. | 266/88 |
| 7. | 267/88 |
| 8. | 268/88 |
| 9. | 269/88 |
| 10. | 270/88 |
| 11. | 272/88 |
| 12. | 273/88 |

अ वा र्ड

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894[1984] का केन्द्रीय अधिनियम संख्या । की धारा 4[1] के तहत क्रमांक प.6[15]नविआ/11/87 दिनांक 6.1.88 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में 7.7.88 को कराया गया ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5 ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरांत राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प.6[15]नविआ/3/87 दिनांक 28.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राज्य पत्र जुलाई 31, 1989 को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें मौजा अतरपुरा तहसील सांगानेर में अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार बताई गयी ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

...... 2

| क्र. | मुकदमा नं. | खातेदार/हितदार का नाम | ख.नं. | अवाप्तिधीन रकबा बीघा – बिस्वा |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 258/88 | चौथा पुत्र नारायण हरियाणा ब्रा. सांदेह | 70 | 00 – 08 |
| | | | 71 | 00 – 01 |
| | | | ~~22~~ 72 | 00 – 02 |
| | | | 73 | 02–08 |
| | | | 74 | 01–11 |
| | | | 75 | 00–12 |
| | | | 76 | 00–10 |
| | | | 121 | 04–03 |
| | | | 90 | 01–13 |
| | | | 91 | 00–15 |
| 2. | 259/88 | चंदा बाबू पि. बालू जाति. ब्र. हरियाणा सा.देह. | 80 | 01–07 |
| | | | 81 | 00–11 |
| | | | 82 | 01–03 |
| | | | 83 | 01–15 |
| | | | 84 | 00–01 |
| | | | 85 | 02–04 |
| | | | 87 | 00–01 |
| | | | 88 | 01–17 |
| 3. | 262/88 | लाला पु. ईशरा कौम हरियाणा ब्रा. सा. देह. | 89 | 01–14 |
| | | | 92 | 01–00 |
| | | | 95 | 03–06 |
| | | | 96 | 00–03 |
| | | | 97 | 03–00 |
| 4. | 263/88 | नारायण सिंह सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह पि. हरि सिंह, जाति राजपूत सा. देह. हि. बराबर | 155/250 | 00–06 |
| 5. | 265/88 | भौरी लाल पु. जगन्नाथ हि. 1/6 महादेव हनुमान कल्याण पि. मागु हि. 3/6 धन्नाराम, गोपाल मूलचन्द चौथमल पि. बदरी हि. 1/6 हि. बराबर व श्री किशन पु. लक्ष्मीनारायण हि. 1/9 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा. देह. | 1 मिन | 22–08 |
| | | | 4 [illegible] | 00–02 |
| | | | 9 मिन | 00–06 |
| | | | 47 [illegible] मिन | 15–00 |
| | | | 48 [illegible] | 12–15 |
| | | | 49 [illegible] | 01–16 |
| | | | 50 [illegible] | 00–07 |
| | | | 51 === | 00–15 |
| | | | 46 === मिन | 05–10 |
| | | | 55 === | 00–05 |
| | | | 56 === | 00–07 |
| | | | 62 === | 00–02 |

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|
| 6. | 266/88 | गौरी लाल पु. जगन्नाथ | 2 मिन | 01-10 |
| | | जाति हरियाणा ब्राह्मण सा. देह | 59 === | 04-08 |
| 7. | 267/88 | धन्नाराम, गोपाल, मूलचंद | 3 मिन | 01-12 |
| | | चौथमल, पि. बदरी जाति हरियाणा | 57 मिन | 01-13 |
| | | ब्राह्मण हि. बराबर सा. देह. | 58 | 04-16 |
| 8. | 268/88 | महादेव पु. मॉंगू जाति | 05- | 00-07 |
| | | ब्राह्मण सा0. देह. | 6 मिन | 01-15 |
| | | | 52 | 02-00 |
| | | | 54 | 03-08 |
| 9. | 269/88 | हनुमान, कल्याण पि. मॉंगू | 7 मिन | 03-00 |
| | | बराबर 2/3 किशन पु. | 8 मिन | 03-04 |
| | | लक्ष्मीनारायण 1/3 जाति | 60 | 06-02 |
| | | ब्राह्मण | 61 | 00-03 |
| | | | 64 | 00-08 |
| | | | 63 | 05-17 |
| 10. | 270/88 | गौरी लाल पु. जगन्नाथ | 53 | 00-01 |
| | | 1/3 महादेव पु. मॉंगू हि. | | |
| | | 1/3 धन्नाराम गोपाल, | | |
| | | मूलचंद, चौथमल पि. बदरी 1/3 | | |
| | | जाति हरियाणा ब्राह्मण सा. देह | | |
| 11. | 272/88 | चन्दा लादू पि. बालू हि. 1/3 लाला | | |
| | | पु. ईशरा 1/3 जोधा पु. नारायण | | |
| | | 1/3 जाति ह. ब्रा. सा. देह | 77 | 00-12 |
| | | | 78 | 00-02 |
| | | | 79 | 00-03 |
| | | | 86 | 00-04 |
| | | | 119 | 02-08 |
| 12. | 273/88 | चन्दा लादू पि. बालू 1/6 | 93 | 00-01 |
| | | जोधा पु. नारायण हि. 1/6 | 94 | 00-01 |
| | | लाला पु. ईशरा हि. 2/3 | | |
| | | जाति. हरियाणा ब्राह्मण | | |
| | | सा. देह | | |

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

क्रमशः– .....4

...

क्र.सं. 1 मुकदमा नं0 258/88 खसरा नं0.70,71,72,73,74,75,76,90,91,121,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं.70 रकबा 08 बिस्वा,ख.नं.71 र रकबा 01 बिस्वा,ख.नं.72 रकबा 02 बिस्वा,ख.नं.73 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा ख.नं.74 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा ख0 न0 75 रकबा 12 बिस्वा ख0न0 76 रकबा 10 बिस्वा ख0न0 90 रकबा 1बीघा 13 बिस्वा ख0न0 91 रकबा 15 बिस्वा ख. न.121 बीघा 4 बिस्वा 3 बीघा पुत्र नारायण हरियाणा ब्राहमण ता.देह के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/हितदारान को दिनांक 25.1.90 को जारी किये । जिसे तामील कुनिन्दा के द्वारा नोटिस भैरूराम शर्मा को देकर तामील करवाया गया । तथा दिनांक 15.9.90 को पुनः नोटिस द्वारा तामील कुनिन्दा द्वारा तामील करवाया गया । जिसे तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस खातेदार के भतीजे श्री गोपाल शर्मा पुत्र लादू राम को देकर तामील करवाये। बावजूद खातेदार/हितदार अनुपस्थित रहे ।तत्पश्चात धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 25.2.91 को रजिस्ट्री द्वारा भेजे गये जिसे डाकचार से प्राप्त रजि0.ए.डी. की रसीद के अनुसार श्री किशनलाल शर्मा को देकर तामील करवाये गये । बावजूद इसके कोई खातेदार/हितदार उपस्थित नही हुए इसके पश्चात दिनांक 5.5.91 को दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों में नोटिस का प्रकाशन करवाया गया । इसके बावजूद खातेदार/हितदारान उपस्थित नही हुये। अतः इनके खातेदार/हितदार के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

क्र.सं.2 मुकदमा नम्बर 259/88 खसरा नं.80,81,82,83,84,85,87,88,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं.80 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा ख.नं.81 रकबा 11 बिस्वा,ख.नं.82 रकबा1 बीघा 3 बिस्वा,ख.नं.83 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा,ख.नं.84 रकबा 1 बिस्वा,85 ख.नं.85 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा,ख.नं. 87 रकबा 1 बिस्वा,ख.नं.88 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा,श्री चन्दा लादू पि.बालु जाति ब्राहम्ण हरियाणा ता.देह के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदार/हितदार को दिनांक 25.1.90 को जारी किये गये तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट अनुसार भैरू राम को देकर तामील कराये गये दिनांक 15.9.90 को नोटिस पुनः तामील कुनिन्दा द्वारा भेजे गये । तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार गोपाल शर्मा पु.लादु राम (खातेदार का लड़का) को देकर तामील कराया गया । इसके बावजूद खातेदार/हितदार अनुपस्थित रहें । दिनांक 5.3.91 को नोटिस रजि0.ए.डी.द्वारा भेजे गये जिसकी तामील की रसीद भी मिसल शामिल है । तत्पश्चात धारा 9 व 10 का नोटिस दिनांक 5.5.91 को दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया । इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहें । अतः इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

क्र.सं.3 मुकदमा नं.262/88 खसरा नं.89,92,95,96,97,

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं.89 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 92 रकबा 1बीघा,ख.नं.95 रकबा 3बीघा 6 बिस्वा,ख.नं. 96 रकबा 3 बिस्वा ख.नं.97 रकबा 3 बीघा श्री लाला पु.ईशरा जाति ब्राहम्ण हरियाणा ता.देह के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/हितदारान को दिनांक 25.1.90 को जारी किये तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार भैरूराम शर्मा को देकर तामील कराया गया । दिनांक 15.9.90 को नोटिस पुनः जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की हल्फिया रि

क्रमशः ...

240

के अनुसार नोटिस गोपाल शर्मा (खातेदार का पति) को देकर तामील कराये गये। बावजूद खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे तत्पश्चात दिनांक 5.3.91 को नोटिस रजि. ए.डी. द्वारा भेजे गये। तामील की रसीद मिसल शामिल है। इसके उपरान्त दिनांक 5.5.91 के दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों में नोटिसों का प्रकाशन कराया गया। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुये। अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

क्र.सं. 4. मुकदमा नं. 263/88 खसरा नं. 155/250
---------------------

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 155/250 रकबा 06 बिस्वा श्री नारायण सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह पि. हरि सिंह जाति राजपूत सा. देह हि. बराबर के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदारान को नोटिस दिनांक 25.1.90 को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार भैरू राम शर्मा को देकर तामील कराया गया बावजूद तामील खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहे। दिनांक 25.9.90 को पुनः नोटिस जारी किये गये तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के लड़के भवर सिंह पु. सरदार सिंह को नोटिस देकर तामील कराया गया। तथा दिनांक 23.2.91 को नोटिस रजि. ए.डी. द्वारा भेजे गये। जिसकी तामील की रसीद मिसल शामिल है। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहें। तत्पश्चात दिनांक 5.5.91 को दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

क्र.सं.5 मुकदमा नं. 265/88 खसरा नं. 1 मिन, 4, 9 मिन, 47, 48, 49, 50, 46, 51, 55, 56, 62,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 1 मिन रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा ख.नं. 4 रकबा 2 बिस्वा, ख.नं. 9 मिन रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 47 रकबा 15 बीघा ख.नं. 48, रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 49 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 50 रकबा 7 बिस्वा, ख.नं. 46 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 51 रकबा 15 बिस्वा ख.नं. 55 रकबा 05 बिस्वा, ख.नं. 56 रकबा 07 बिस्वा, ख.नं. 62 रकबा 02 बिस्वा श्री भीरी लाल पु. जगन्नाथ हि. 1/6 महादेव हनुमान कल्याण पि. मांगू हि. 3/6 धन्नाराम गोपाल, मूलचंद, चौथमल, पि. बदरी हि. 1/6 हि. बराबर व श्री किशन पु. लक्ष्मीनारायण हि. 1/9 जाति हरियाणा ब्राह्मण सा. देह. के नाम दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/हितदारान को दिनांक 25.1.90 को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार मीठा लाल को देकर नोटिस तामील कराये गये तथा दिनांक 15.9.90 को नोटिस पुनः तामील कुनिन्दा द्वारा भेजे गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार मौके पर नोटिस चस्पा कराये गये। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहें। तत्पश्चात् दिनांक 23.2.91 को रजि. ए.डी. द्वारा नोटिस जारी किये गये। इसके उपरान्त दिनांक 5.5.91 के दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स क में- समाचार पत्रों में नोटिसों को प्रकाशित कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहें। अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी

क्रमशः....6

अधिकारी
नगर विकास
जयपुर

क्र. सं. 6 मुकदमा नम्बर 266/88 खसरा नं. 2 मिन, 59.

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 2 मिन रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख.नं. 59 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा श्री मोरी लाल पु. जगन्नाथ के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/हितदारान को दिनांक (11-1-90) को जारी किये गये तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस मीठा लाल को देकर तामील कराये गये। दिनांक 1-9-90 को नोटिस पुनः जारी किये गये। जिसे तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार चस्पा कराये गये। बावजूद हितदारानएवं आपत्तिकर्ता श्यामपुरी गृह. नि. सह. समिति के सदस्य गण अनुपस्थित रहें। तत्पश्चात दिनांक 22.2.91 को नोटिस रजि०.ए.डी. द्वारा खातेदारान/हितदारान व आपत्तिकर्ता को जारी किये गये। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान व आपत्तिकर्ता उपस्थित नहीं होने के कारण नोटिस 25.2.91 को तामील कुनिन्दा के माध्यम से खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता को भिजवाये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार मौके पर चस्पा कराये गये इसके उपरान्त 5.5.91 के दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों में नोटिस का प्रकाशन कराया गया। इसके बावजूद भी खातेदारान / हितदारान एवं आपत्तिकर्ता अनुपस्थित रहें। अतः खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

क्र. सं. 7 मुकदमा नम्बर 267/88 खसरा नं. 3 मिन 57, 58.

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 3 मिन रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 57 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख.नं. 58 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा श्री पन्नाराम, गोपाल, मूलचंद, चौथमल, पि. बदरी जाति हरियाणा ब्राह्मण सा. देह हि. बराबर के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 25.1.90 को खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता श्यामपुरी गृह. नि. सह. समिति को भेजे गये तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार मीठा लाल को देकर तामील कराये गये। दिनांक 15.9.90 को नोटिस पुनः जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस नाथू पुत्र घासी राम (खातेदार का लड़का) को देकर तथा समिति का नोटिस मौके पर चस्पा कराकर तामील कराये गये। इसके बावजूद भी ~~तामील खातेदारान~~/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात 25.2.91 को रजि.ए.डी. द्वारा भेजे गये। तथा दिनांक 5.5.91 को दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित कराये गये। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान एवं आपत्ती कर्ता उपस्थित नहीं हुये। अतः खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

क्र. सं. 8 मुकदमा नं. 268/88 खसरा नं. 5, 6 मिन, 52, 54.

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 5 रकबा 7 बिस्वा, ख.नं. 6 मिन रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 52 रकबा 2 बीघा, ख.नं. 54 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, श्री महादेव पु. नैणु जाति ब्राह्मण सा. देह के नाम दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 25.1.90 खातेदारान/हितदारान को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार मीठा लाल को देकर तामील कराये गये। दिनांक 23.9.90 को पुनः नोटिस जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान के लड़के बाबू लाल पु. किशना एवं बंजरग लाल पु. गोविन्द राम को देकर नोटिस तामील कराये गये। बावजूद खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहें। तत्पश्चात 25.2.91 को खातेदारान/हितदारान व आपत्तिकर्ता श्यामपुरी गृह. निo. सहo. समिति को नोटिस पुनः रजि०.ए.डी. द्वारा भेजे गये। जिसके तामील रसीद मिसल शामिल है। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता अनुपस्थित रहें। इसके पश्चात दिनांक 5.5.91 के दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित कराये गये। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता उपस्थित नही हुये अतः खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

क्र. सं. 9 मुकदमा नं. 269/88 खसरा नं. 7 मिन, 8 मिन, 60, 61, 64, 63,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 7 मिन रकबा 3 बीघा, ख. नं. 8 मिन रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, ख. नं. 60 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 61 रकबा 3 बिस्वा, ख. नं. 64 रकबा 8 बिस्वा, ख. नं. 63 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा श्री हनुमान कल्याण पि. मांगू बराबर 2/3 किशन पु. लक्ष्मीनारायण 1/3 जाति ब्रा. के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 25.1.90 को खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता श्यामपुरी गृह०. नि०. सह० समिति को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस मीठा लाल को देकर तामील कराये गये तथा दिनांक 23.9.90 को नोटिस पुनः जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के लड़के बाबूलाल को देकर तामील कराये गये बावजूद खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता अनुपस्थित रहें। तत्पश्चात दिनांक 25.2.91 को नोटिस खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता को रजि०.ए.डी. द्वारा भेजे गये। तामील की रसीद मिसल शामिल है समिति के लिफाफे पर डाकियार की रिपोर्ट के अनुसार लेने से इन्कार मार्क अंकित है। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहें। इसके उपरान्त दिनांक 5.5.91 के दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों में नोटिसों का प्रकाशन कराये गये। इसके बावजूद भी खातेदारान /हितदारान एवं आपत्तिकर्ता उपस्थित नही हुये अतः खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

क्र. सं. 10 मुकदमा नम्बर 270/88 खसरा नम्बर 53

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 53 रकबा 1 बिस्वा श्री भोरीलाल पु. जगन्नाथ 1/3 महादेव पु. मांगू हि. 1/3 धन्नाराम गोपाल, मूलचन्द, चौथमल, पि. बदरी 1/3 जाति हरियाणा ब्राह्मण के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/हितदारान को दिनांक 25.1.90 को जारी किये गये तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस मीठा लाल को देकर तामील कराये गये। तथा दिनांक 15.9.90 को गये

क्रमशः---8

243

को नोटिस पुनः खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता श्यामपुरी पु०. नि०. मह०. तामिलको जारी किये गये तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदार के पोते बाबू लाल पु. किशना कंवरम पु. गोविन्दा को देकर तामील कराये गये। बावजूद खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता अनुपस्थित रहें। तत्पश्चात धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 25.2.91 को रजि०. ए.डी. द्वारा भेजे भेजे गये। तथा दिनांक 30.5.91 को नोटिस खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता को तामील कुनिन्दा के माध्यम से ~~खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता~~ को भिजवाये गये। तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिसों को मौके पर चस्पा कराये गये। इसके बावजूद खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता उपस्थित नहीं हुए। इसके पश्चात ~~उपरान्त~~ 5.5.91 को दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों में नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता अनुपस्थित रहें। अतः खातेदारान/हितदारान एवं आपत्तिकर्ता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

क्र.सं. 11 मुकदमा नम्बर 272/88 खसरा नं.77,78,79,86,119,

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं.77 रकबा 12 बिस्वा, ख.नं.78 रकबा2 बिस्वा, ख.नं.79 रकबा 3 बिस्वा, ख.नं.86 रकबा 4 बिस्वा ख.नं. 119 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, श्री बन्दा लादू पि. लादू हि.1/3 लाला पु.ईसरा 1/3 चौथा पु.नारायण 1/3 जाति हरियाणा ब्राह्मण के ला.देह. के नाम दर्ज है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/हितदारान को दिनांक 25.1.90 को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार भैरू राम शर्मा को देकर तामील कराये गये तथा दिनांक 15.9.90 को नोटिस पुनः जारी किये गये तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के लडके गोपाल शर्मा पु.लादू राम को देकर तामील कराये गये। 23.2.91 को नोटिस रजि०.ए.डी.द्वारा भेजे गये। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहें। लाला पु.ईसरा को पुनः नोटिस तामील कुनिन्दा के माध्यम से भिजवाये गये। तथा खातेदार के पु.तारा चंद शर्मा को नोटिस देकर तामील कराये गये इसके पश्चात ~~उपरान्त~~ दिनांक 5.5.91 के दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों में नोटिसों का प्रकाशन करवाया गया। इसके बावजूद भी खातेदारान/हितदारान अनुपस्थित रहें। अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

क्र.सं. 12 मुकदमा नं.273 खसरा नं.93,94

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नं. 93 रकबा 1 बिस्वा, ख.नं. 94 रकबा 1 बिस्वा श्री बन्दा लादू पि. लादू 1/6 चौथा पु.नारायण हि.1/6 लाला पु.ईसरा 2/3 जाति हरियाणा ब्राह्मण ला.देह के नाम दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस खातेदारान/हितदार को दिनांक 25.1.90 को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार तामील कराये गये। तथा नोटिस पुनः दिनांक 15.9.90 को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के लड़के गोपाल शर्मा पुत्र लादू राम को अन्य सभी के खातेदारों के नोटिस देकर तामील कराये गये। बावजूद खातेदारान/हितदारान उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अब दिनांक 25.2.91 को नोटिस रजि०.ए.डी.द्वारा भेजे गये। जिसके तामील की रसीद मिसल शामिल है। खातेदार लाला पु.ईसरा को नोटिस दिनांक 24.4.91 को जारी किये गये।

क्रमशः-..9

तामील कुनिन्दा की तामील रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के पौते ताराचंद शर्मा को देकर नोटिस तामील कराये गये। इसके बावजूद भी खातेदारान /हितदारान अनुपस्थित रहे। इसके उपरान्त 5.5.91 के दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन करवाया गया । इसके बावजूद भी खातेदारान /हितदारान उपस्थित नहीं हुए। अतः खातेदारान/हितदारान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमात के सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 3.5.91 को दिये गये जो तामील कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार, पंचायत समिति नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये व चस्पा किये गये ।

मुआवजा निर्धारण :-

जहाँ तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6(15) नविआ/87 दिनांक 1.1.89 द्वारा मुआवजा निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था । लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा की राशि का निर्धारण नहीं किया । इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11.2.91 द्वारा शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त महोदय, एवं सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाय । इसके उपरान्त समय-समय पर आयोजित मिटिंग में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया हैं ।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशिएसन नहीं किया गया ।

विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजा निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये है उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रीयों द्वारा उक्त क्षेत्र में पंजीयन दर के अनुसार निर्धारण माना गया है । पृथ्वीराज नगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन दि० 7.7.88 को हुआ था । इसलिए विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में 7.7.1988 विभिन्न उपपंजीयकों के यहां पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है।

जहाँ तक उपरोक्त खसरा नं० के खातेदारान/हितदारान को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न हैं उपरोक्त सभी मामलों में एक तरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितदारान की ओर से ~~[illegible]~~ कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान/हितदारान की ओर से मुआवजे की राशि की माँग का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास प्रन्यास
जयपुर

क्रमशः :.....10

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के अनुसार इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवाप्त की जा रही है का भी पक्ष जानना किया गया । जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने पत्र क्रमांक टी॰डी॰ आर॰/91/336 दिनांक 3-6-91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया गया कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय ग्राम असरपुरा में 10200/-रूपये प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का पंजीयन हुआ था । इसलिए जहां तक उनके पक्ष का संबंध है यह दर उचित है ।

हमने इस सम्बन्ध में उप-पंजीयक एवं तहसीलदार जयपुर के यहां से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण [प्रथम] ने भी अपने यू0 ओ0 नोट दिनांक 8-5-91 द्वारा तहसील जयपुर में धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है ।

लेकिन न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस-पास की भूमि की मुआवजा राशि 24000/- रूपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये एवं जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है । जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के॰पी॰ मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24000/- रूपये प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24000/- रूपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किए गए हैं ।

अतः इस मामले में भी हम भूमि की मुआवजा राशि 24000/-रूपये प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते है एवं हम यह भी मानते है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भी भूमि की कीमत यहीं थी ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिए दो वर्ष की समयावधि नियत है । लेकिन खातेदारान/हितदारान को धारा 9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा रजि॰ ए॰डी॰ एवं समाचार पत्रों के प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नहीं होना व क्लेम पेश नहीं करना इस बात का द्योतक है कि वे अपना कोई पक्ष प्रस्तुत करना नहीं चाहते है इसलिए एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

जहां तक पेड़ पोधे कुएं एवं भूमि पर बने अन्य स्ट्रक्चर का प्रश्न है खातेदारान द्वारा कोई तखमीना पेश नहीं किया और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीना पेश किये गये ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर [यदि कोई हो तो] के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है । जिसका निर्धारण बाद में जविप्रा से तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीने प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्धारण किया जावेगा ।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24000/- रूपये प्रति बीघा की दर से करते है लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा । मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार किया जा रहा है ।

....11..

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

—— 11 ——

अतिरिक्त निदेशक (प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में सम्मिलित है एवं अरबन सीलिंग अधिनियम की धारा 1976 से प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अरबन सीलिंग अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1-ए) एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलेशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण परिशिष्ठ "ए" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 4.5.91 सिविल रिट याचिका में विविध स्टे प्रार्थना पत्र नं० 2764/91 (सिविल रिटपिटीशन 3288/91 आनन्द कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान) बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह स्थगन आदेश पारित किया था कि भूमि अवाप्ति अधिकारी राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-6(15)नविआ/पार्ट/85 दिनांक 25.5.91 (सेनक्लोजर-2) की अनुपालना किये बिना कोई अवार्ड पारित नहीं करेंगे। राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प-6 प-6(15) नविआ/पार्ट/85 (दिनांक 10.6.91) के संदर्भ में रिपोर्ट अवलोकन करने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। ऐसी स्थित में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश स्वत: ही समाप्त हो जाता है।

अत: अवार्ड आज दिनांक 12.6.91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर)

संलग्न :- परिशिष्ठ "ए" गणना तालिका।

यह अवार्ड आज दिनांक 20.7.91 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F6(15) नविआ/87/पार्ट दिनांक 19-7-91 के द्वारा अनुमोदित होकर प्राप्त हो गया है। इस अवार्ड के खसरा नं० 70 से 76, 121, 90, 91, 80, 81 से 85 तक, 87, 88, 89, 92, 95, 96, 97, 1, 4, 9 मि. 47, 48, से 51 तक, 46, 55, 56, 62, 2, 59, 3, 57, 58, 5, 6, 52, 54, 7, 8, 60, 61, 64, 63, 53, 77, 78, 79, 86, 119, 93, 94 पर माननीय उच्च न्यायलय का आदेश की घोषणा पर स्थगन आदेश होने कारण आज दिनांक 20.7.91 को अवार्ड घोषित नहीं किया जा रहा है।

खसरा नं० 155/250 की घोषणा पर माननीय उच्च न्यायलय का स्थगन आदेश नहीं होने कारण आज दिनांक 20.7.91 को इस अवार्ड के खसरा नं 155/250 का अवार्ड सरे इजलास घोषित किया जाकर शामिल किया जाता है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजना
जयपुर

P.T.O.

247



18.5.96 ग्राम सेवरपुरा तहसील सांगानेर के ख० नं० 70 से 76, 121, 90, 91, 80 से 85, 87, 88, 89, 92, 95, 96, 97, 1, 4, 9 मि, 46 से 51 तक 55, 56, 62, 2, 59, 3, 57, 58, 56, 52, 54, 78, 60, 61, 64, 63, 53, 77, 78, 79, 86, 119, 93, 94 व 155/250 का अवार्ड दिनांक 20.7.91 को राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F(6)(15) नवि० आ/87/पार्ट दिनांक 19.7.91 के द्वारा अनुमोदित होकर प्राप्त हो गया था। उपरोक्त खसरा नम्बरान में (ख० नं० 155/250 को छोड़कर) माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण इनका अवार्ड घोषित नहीं किया जा सका था।

अब दिनांक माननीय उच्च न्यायालय (डी०बी०) के द्वारा राज्य/नविप्रा की अपीलों का निर्णय राज्य/नविप्रा के पक्ष में दिनांक 12.4.96 को कर दिया गया है जिसकी प्रति इस कार्यालय को 18.5.96 को प्राप्त हुई है।

उक्त आदेश के अनुसरण में आज दिनांक 18.5.96 को ख० नं० 70 से 76, 121, 90, 91, 80 से 85, 87, 88, 89, 92, 95, 96, 97, 1, 4, 9 मि, 46 से 51 तक 55, 56, 62, 2, 59, 3, 57, 58, 56, 52, 54, 78, 60, 61, 64, 63, 53, 77, 78, 79, 86, 119, 93, 94, का अवार्ड ~~[illegible]~~ उद्घोषित घोषित किया जाता है। हितधारकों को 12(2) का नोटिस जारी हो। भुगतान हेतु अधिग्रहण शाखा को अवार्ड की एक प्रति भेजी जावे।

[signature]

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

6.7.9

## परिशिष्ठ "ब" ग्राम:- अतरपुरा, तहसील - सांगानेर

| क्र.सं. | मुकदमा नं. | नाम खातेदार/हितदारान | खसरा नं. | रकबा बी. बि. | मुआवजे की दर/बीघा | मुआवजा की राशि | सोलेशियम राशि 30% | अतिरिक्त राशि 12% प्रतिवर्ष | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 258/88 | जोधा पु. नारायण हरियाणा ब्रा. सा. देह. | 70 | 00-08 | | | | | |
| | | | 71 | 00-01 | | | | | |
| | | | 72 | 00-02 | | | | | |
| | | | 73 | 02-08 | | | | | |
| | | | 74 | 01-11 | | | | | |
| | | | 75 | 00-12 | | | | | |
| | | | 76 | 00-10 | | | | | |
| | | | 121 | 04-03 | | | | | |
| | | | 90 | 01-13 | | | | | |
| | | | 91 | 00-15 | /=24,000/- | 2,91,600/- | 87,480/- | 1,02,643/- | 4,81,723/- |
| | | | | 12-03 | ~~2,91,600/=====87,480/==1,02,643/====================~~ | | | | |
| 2. | 259/88 | नन्दा, नाडु पि. बालु कौम ब्राहम्ण हरियाणा सा. देह. | 80 | 01-07 | | | | | |
| | | | 81 | 00-11 | | | | | |
| | | | 82 | 01-03 | | | | | |
| | | | 83 | 01-15 | | | | | |
| | | | 84 | 00-01 | | | | | |
| | | | 85 | 02-04 | | | | | |
| | | | 87 | 00-01 | | | | | |
| | | | 88 | 01-17 | | | | | |
| | | | | 08-19 | 24,000/- | 2,14,800/- | 64,440/- | 75,609/- | 3,54,849/- |

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

क्रमशः...2

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 262/88 | लाला पु. ईसरा जाति. हरि ब्राह्मण सा. देह. | 89 | 01-14 | | | | | |
| | | | 92 | 01-00 | | | | | |
| | | | 95 | 03-06 | | | | | |
| | | | 96 | 00-03 | | | | | |
| | | | 97 | 03-00 | | | | | |
| | | | | 09-03 | 24,000/- | 2,19,600/- | 65,880/- | 77,299/- | 3,62,779/- |
| 4. | 263/88 | नारायण सिंह सरदार सिंह रघुनाथ सिंह पि. हरिसिंह जाति. राजपूत सा. देह. हि. बराबर | 155/250 | 00-06 | \| | 7,200/- | 2,160/- | 2,534/- | 11,894/- |
| 5. | 265/88 | मोतीलाल पु. जगन्नाथ 1/6 महादेव हनुमान कल्याण पि. बालि 3/6 पन्नाराम गोपीराम, [illegible] पीथमल पि. बद्री 1/8 हि. बराबर किशन पु. लक्ष्मीनारायण 1/9 जाति हरिकाशा ब्रा. सा. देह. | 1 मिन | 22-08 | | | | | |
| | | | 4 | 00-02 | | | | | |
| | | | 9 मिन | 00-06 | | | | | |
| | | | 47 | 15-00 | | | | | |
| | | | 48 | 12-15 | | | | | |
| | | | 49 | 01-16 | | | | | |
| | | | 50 | 00-07 | | | | | |
| | | | 46 | 05-10 | | | | | |
| | | | 51 | 00-15 | | | | | |
| | | | 55 | 00-05 | | | | | |
| | | | 56 | 00-07 | | | | | |
| | | | 62 | 00-02 | | | | | |
| | | | | 59-13 | 24,000/- | 14,31,600/- | 4,29,480/- | 5,03,923/- | 23,65,003/- |
| 6. | 266/88 | मोती लाल पु. जगन्नाथ | 2 मिन | 01-10 | | | | | |
| | | | 59 | 04-08 | | | | | |
| | | | | 05-18 | 24,000/- | 1,41,600/- | 42,480/- | 4,98,43/- | 2,33,923/- |

भूमि अवाप्ति अधिकारी
[illegible]

क्रमशः....3

250



| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 267/88 | धन्नाराम गोपाल, मोपालचंद, चौथमल, पि. बदरी. जाति. हरियाणा ब्राहम्ण सा. देह. हि. बराबर | 3 मिन<br>57<br>58 | 01-12<br>01-13<br>04-16<br>08-01 | 24,000/- | 1,93,200/- | 57,960/- | 68,006/- | 3,19,166/- |
| 8. | 268/88 | महादेव पु. मांगू जा. ब्रा. सा. देह. | 5<br>6 मिन<br>52<br>54 | 00-07<br>01-15<br>02-00<br>03-08<br>07-10 | " | 1,80,000/- | 54,000/- | 63,360/- | 2,97,360/- |
| 9. | 269/88 | हनुमान कल्याण पि. मांग हि. बराबर 2/3 किशन पु. लक्ष्मीनारायण 1/3 कौम ब्राहम्ण | 7 मिन<br>8 मिन<br>60<br>61<br>64<br>63 | 03-00<br>03-04<br>06-02<br>00-03<br>00-08<br>05-17<br>18-14 | " | 4,48,800/- | 1,34,640/- | 1,57,977/- | 7,41,417/- |
| 10. | 270/88 | मोतीलाल पु. जगन्नाथ 1/3 महादेव पु. मांग 1/3 धन्नाराम गोपाल मनचंद चौथमल पि. बद्री 1/3 जा. हरियाणा ब्रा. सा. देह. | 53 | 00-01 | " | 1,200/- | 360/- | 422/- | 1,982/- |

भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास योजनाएं …पुर

| | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8. | 10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 272/88 चन्दा लादूराम पि. बाल हि. 1/3 | 77 | 00-12 | | | | | |
| | लाला पु. हजारा 1/3 जोधा पु. | 378 | 00-02 | | | | | |
| | नारायण 1/3 जाति. हरियाणा | 79 | 00-03 | | | | | |
| | ब्राहम्ण सा. देह. | 86 | 00-04 | | | | | |
| | | 119 | 02-08 | | ~~[illegible]/-~~ ८२,८००/- | 24,840/- | 29,145/- | 1,36,785/- |
| | | | 03-09 | 24.000/- | ~~[illegible]/-~~ | ~~720/-~~ | ~~844/-~~ | |
| 12. | 273/88 चंदालादू पि. बालू 1/6 | | | | | | | |
| | जोधा पु. नारायण 1/6 | 93 | 00-01 | | | | | |
| | लाला पु. हजारा सिंह | 94 | 00-01 | | | | | |
| | 2/3 जाति हरियाणा ब्रा. | | | | | | | |
| | सा. देह. | | 00-02 | 24,000/- | 2,400/- | 720/- | 844/- | 3,964/- |

नोट :- 1. सोलिशियम राशि 30 प्रतिशत कालम नं0.8 पर गणना की गयी है।

2. अतिरिक्त राशि 12 प्रतिशत की गणना कालम नं0.9 पर दिनांक 7.7.88 से [धारा 4 [1] के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 12.6.91 तक की गयी हैं।

भूमि अवाप्ति अधिकारी

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर।